न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

०० न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/21	22.10.2021	18.12.2022

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

गोबरीलाल आत्मज माधोलाल माता केसर बाई जाति मीणा निवासी झाडगांव तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री के. के वैष्णव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम नीमोदा उजाड तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 44 की खसरा संख्या 308 रकबा 0.12 है0, 356 रकबा 1.56 है0, 357 रकबा 0.13 है0, 441 रकबा 0.22 है0, 455 रकबा 0.78 है0, 60 रकबा 1.21 है0, 61 रकबा 0.44 है0, 62 रकबा 0.70 है0, कुल किता 8 रकबा 5.16 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम गोबरीलाल पुत्र केसर बाई दर्ज है। यह कि उक्त आराजी वादी को वादी की माता केसर बाई से खातेदारी में आई है, इसलिए वादी का नाम गोबरीलाल पुत्र केसर बाई दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, आदि में वादी का नाम गोबरीलाल आत्मज माधोलाल है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कारणो से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोबरीलाल पुत्र माधोलाल के स्थान पर गोबरीलाल पुत्र केसर बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 27.08.2021 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम नीमोदा उजाड की उक्त भूमि कुल किता 8 रकबा 5.16 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गोबरीलाल पुत्र माधोलाल के स्थान पर गोबरीलाल पुत्र केसर

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम गोबरी लाल पुत्र केसरबाई के स्थान पर गोबरी लाल पुत्र माधोलाल माता केसरबाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नीमोदा उजाड तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 44 की खसरा संख्या 308 रकबा 0.12 है0, 356 रकबा 1.56 है0, 357 रकबा 0.13 है0, 441 रकबा 0.22 है0, 455 रकबा 0.78 है0, 60 रकबा 1.21 है0, 61 रकबा 0.44 है0, 62 रकबा 0.70 है0, कुल किता 8 रकबा 5.16 है0 भूमि में वादी का नाम गोबरी लाल पुत्र केसरबाई के स्थान गोबरी लाल पुत्र केसरबाई के स्थान पर गोबरी लाल पुत्र माधोलाल माता केसर बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner